बीआईएस/डीजीओ (471)/2021
दिनांक: 03-062021

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपमहानिदेशक प्रशासन सचिवालय)

कार्यालय आदेश

1. बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत परिभाषित शक्तियों एवं प्रकार्यों के अनुसार, ब्यूरो को उपभोक्ताओं और विभिन्न अन्य स्टेकहोल्डरों के हितों का संरक्षण करने हेतु माल, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, पद्धतियों तथा सेवाओं की गुणता का संवर्धन, मॉनिटरिंग और प्रबंधन करने हेतु आवश्कतानुसार सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिदेश है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बीआईएस ऐसी मानक संवर्धन गतिविधियों हेतु विभिन्न उपभोक्ताओं, उद्योग, सरकारी निकायों, शैक्षिणिक संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है, जो मुख्यतया निम्नांकित हैं:
   क) औपचारिक बैठकों और पत्राचार के माध्यम से सरकारी विभागों, पीएसयू, शैक्षिक संस्थानों, उद्योग और उनके संघों, इत्यादि तथा उनके मानकीकरण प्रकोष्ठों के साथ वार्तालाप करना।
   ख) मानकों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु विभिन्न स्टेकहोल्डर हेतु संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।
   ग) मानकों तथा अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु बीआईएस की गतिविधियों पर एनजीओ, एसएचजी, आरड्ब्ल्यूए इत्यादि सहित संगठित क्रेताओं, उपभोक्ताओं तथा उनके संघों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और उनमें भाग लेना।
   घ) मानक संबंधी गतिविधियाँ और मानकों के शैक्षिक उपयोग पर कार्यक्रम।
   ङ) विश्व मानक दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इत्यादि जैसे विशेष अवसरों पर पूरे देश में समारोह तथा गतिविधियों का आयोजन करना।
   च) मानकीकरण पर राज्य स्तर समिति के माध्यम से गुणता ईको तंत्र को सशक्त करना।
   छ) इसी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ।
2. उपर्युक्त गतिविधियों का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों और मुख्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। यद्यपि ऐसी गतिविधियों का नियोजन, समन्वयन एवं निष्पादन अलग-अलग गतिविधि प्रमुखों के माध्यम से किया जा रहा था, जिससे अतिव्याप्ति (ओवरलैप) या अन्तर (गैप) होने के कारण इनका पता

लगाने और संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने में कठिनाई होती थी। समस्त मानक संवर्धन गतिविधियों को एक गतिविधि प्रमुख अधीन समेकित किए जाने की आवश्यकता है ताकि इनका नियोजन, आयोजन तथा मॉनिटरिंग केंद्रित दृष्टिकोण के साथ की जा सके।

3. मानक संवर्धन हेतु बीआईएस द्वारा की जा रही सभी गतिविधियों को सुग्राही बनाने तथा बीआईएस द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर डाटा को समेकित करने हेतु, सक्षम अधिकारी ने निर्णय लिया है कि उपमहानिदेशक (पीआरटी) समस्त मानक संवर्धन गतिविधियों हेतु गतिविधि प्रमुख होंगे और थिंक नज़ एण्ड मूव विभाग (टीएनएमडी) इसका नोडल विभाग होगा।
4. समस्त संबंधितों को सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखें और इन गतिविधियों के संकलन पर समुचित डाटा समेकित करने और सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु टीएनएमडी विभाग को उपलब्ध कराएं।
5. यह बीआईएस के महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ए के बंसल

(ए.के. बंसल)
उपमहानिदेशक (प्रशासन)

संदर्भ: डीडीजीए:1:14

BIS/DGO (471) / 2021
Dated: 03-06-2021

<u>Bureau of Indian Standards</u>
(DDGA Secretariat)

OFFICE ORDER

1. As per the Powers and Functions defined under BIS Act, 2016, the Bureau is mandated to take all necessary steps for promotion, monitoring and management of the quality of goods, articles, processes, systems and services, as may be necessary, to protect the interests of consumers and various other stake holders. Towards this objective, BIS regularly reaches out to various Consumers, Industry, Government Bodies, Academia and others for standards promotion activities which are broadly given as under:

   a) Interactions with Govt. Deptts., PSUs, Academia, Industry & their Associations etc. and Standardization Cells through formal meetings and letters.
   b) Organizing Seminars & Workshops for various stakeholders to disseminate information on standards.
   c) Conducting and participating in Awareness Programmes for Organized Buyers, Consumers & their Associations including NGOs, SHGs, RWAs etc. on activities of BIS aimed at promoting use of standards and conformity assessment schemes.
   d) Standards Club Activities and Programmes on Educational Utilization of standards.
   e) Observing World Standards Day, National Consumers Day and World Consumer Rights Day, etc as special occasions and conducting nation-wide activities.
   f) Strengthening quality eco-system through State Level Committee on Standardization
   g) Other similar activities

2. The above activities are being carried out by ROs/BOs and various Departments at HQ. However, planning, coordination and execution of such activities were being done under different Activity Heads causing overlap and gaps and difficulty in keeping track and taking follow-up actions with concerned stakeholders. All the standards promotion activities need to be consolidated under one activity head so as to have a focused approach towards planning, conducting and monitoring them.

3. In order to streamline all activities and consolidation of data on efforts made by BIS for Standards Promotion, Competent Authority has decided that DDG(PRT) would be the Activity Head for all the Standards Promotion activities and Think Nudge & Move Deptt. (TNMD) as its Nodal Department.

4. All concerned are advised to take note of the above and provide appropriate data on completion of such activities to TNMD for consolidation and putting up to the Competent Authority.

5. This issues with the approval of DG BIS.

(A K Bansal)
DDGA

Ref: DDGA/1:14